रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 22, 2008/आषाढ़ 31, 1930
No. 409] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 22, 2008/ASADHA 31, 1930

विद्युत मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 548(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 के सामने रजिस्ट्रार के पद से संबंधित स्तंभ 13 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

तलाश-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित चयन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) अध्यक्ष, विद्युत अपील अधिकरण —अध्यक्ष
(ii) सदस्य, विद्युत अपील अधिकरण —सदस्य
(iii) सचिव, विधायी विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के अपर सचिव या उच्च पदस्थ —सदस्य

[फा. सं. 23/64/2003-आर. एंड आर.]

मलय श्रीवास्तव, निदेशक

पाद टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3(i) में सा.का.नि. 721(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 281(अ) तारीख 6 मई, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2008

G.S.R. 548(E).— In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees (Second Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004, against serial number 1 relating to the post of Registrar, for the entries under column 13, the following entries shall be substituted namely :—

Selection shall be based on the recommendations of a Search-cum-Selection Committee consisting of :—

(i) Chairperson, Appellate Tribunal for Electricity —Chairperson
(ii) Member, Appellate Tribunal for Electricity —Member
(iii) Additional Secretary or above in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department to be nominated by the Secretary, Legislative Department —Member

[F. No. 23/64/2003-R & R]

MALAY SHRIVASTAVA, Director

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 30th October, 2004 in Part II, Section 3(i) *vide* number G.S.R. 721(E) and subsequently amended *vide* G.S.R. 281(E) dated 6th May, 2005.

2776 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.